न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर कैम्प कोर्ट बाला

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 51/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर ट्रस्ट बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर जरिये वादमित्र ट्रस्टी शक्तिसिंह पुत्र श्री देवीसिंह, जाति राजपूत निवासी सी 11 सवाई जयसिंह राजमार्ग बनीपार्क जयपुर राज.		राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 209 राजस्थान टीनेसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अनवान के प्रकरण में वादमित्र ट्रस्टी का व्यक्तिगत हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश नही कर उक्त ट्रस्ट में वादमित्र ट्रस्टी के रूप में प्रार्थी ट्रस्ट के हित में कार्यवाही पेश है। जिसमें सम्पूर्ण हित ट्रस्ट का ही निहित रहेगा। वादमित्र ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत हित के रूप में कार्यवाही नही कर रहा है। ग्राम बाला की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.3753 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8607 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 1192 रकबा 4.4738 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 211/3 रकबा 9.2065 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 574/1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 713/30 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 6 कुल रकबा 19.3452 हैक्टेयर आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी ट्रस्ट की स्वयं की खरीदसुदा स्वअर्जित भूमि है। जिसमें प्रार्थी ट्रस्ट द्वारा खरीद के समय ट्रस्ट के व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र बीजराजसिंह कौम राजपूत कुटिया आश्रम थे। व्यवस्थापक जोगसिंहजी द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी ट्रस्ट के व्यवस्थापक की हैसियत से खरीद की थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी ट्रस्ट के नाम के साथ वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में व्यवस्थापक जोगसिंह का नाम भी इन्द्राज कर दिया गया था। जबकि व्यवस्थापक जोगसिंह का ट्रस्ट में मात्र एक व्यवस्थापक यानि कार्य संचालन का अधिकार था। जिनका स्वयं का किसी प्रकार से कानूनी अधिकार निहित नही था। सम्पूर्ण अधिकार प्रार्थी ट्रस्ट में निहित है। वर्तमान में जोगसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में व्यवस्थापक जोगसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में से [illegible] करने एवं सुधार करने का हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बिलाड़ा से निवेदन किया परन्तु मानवीय [illegible] से की गई त्रुटि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

को हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा हटाने से इंकार दिनांक 17.08.2021 को मना कर दिया। वादग्रस्त भूमि के खातेदार ब्रह्मलीन मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला के खातेदारी भूमि में मानवीय भूल से ''व्यवस्थापक जोगसिंह पिता भींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम'' किया गया। इन्द्राज हटाया जाकर प्रार्थी ट्रस्ट के नाम से किया जाना न्यायहित मे आवश्यक व लाजमी है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी ट्रस्ट की वादग्रस्त भूमि में 'व्यवस्थापक जोगसिंह पिता भींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम'' किया गया गलत इन्द्राज हटाया जाकर प्रार्थी ट्रस्ट ''ब्रह्मलीन मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला'' के नाम शुद्धि करवाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशानुसार शुद्धि का अंकन करने का आदेश प्रदान करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 कानूनी है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1121, 1123, 1192, 211/3, 514/1, 713/30 कुल खसरा 6 कुल रकबा 19.3452 हैक्टेयर आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। पद संख्या 3 व 5 वादी स्वय साबित करे। पद संख्या 4, 6 व 7 कानूनी है। अन्त में वादग्रस्त भूमि में व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र भीजराजसिंह कौम राजपुत कुटिया आश्रम के स्थान पर प्रार्थी ट्रस्ट ब्रह्मलीन मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला के नाम शुद्धि करवाया जावे।

वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित कर निस्तारण फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। धारा 209 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में संयोजित किया जा सकता है तथा उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में ट्रीट किया जाना न्याय संगत है। अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में निर्णय किया जा रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से एडमिटेड जवाब पेश किया गया इसलिए पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुर्करर की गयी। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 ग्राम बाला खाता सं[illegible] प्रदर्श 2 संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रदर्श 3 ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि पेश किये। उपरोक्त वाद के समर्थन में स्व. जोगसिंह के वारिसान भंवरसिंह, नारायणसिंह व भवानीसिंह के बयान लैखबद्ध किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested.

गये। जिन्होने अपने बयानों में मुख्य रूप से कथन किया कि ''उपरोक्त खातेदारी भूमि को ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर ट्रस्ट बाला व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम के नाम से खरीद की गयी है। उपरोक्त भूमि को मेरे पिता जोगसिंह ने जरिये व्यवस्थापक की हैसियत से खरीद की थी। मेरे पिता जोगसिंह जी का देहान्त हो चुका है। उपरोक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड ब्रह्मलीन मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला के नाम से दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है। जो बयान प्रदर्श डी.डब्ल्यू 1 से डी.डब्ल्यू 3 है। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी संस्था द्वारा जब उपरोक्त खातेदारी भूमि खरीद की गयी थी उस समय व्यवस्थापक श्री जोगसिंह पुत्र बींजराजसिंह थे इसलिए उन्होने उपरोक्त भूमि खरीद करते समय ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर ट्रस्ट बाला व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम के नाम से खरीद की जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में उनका नाम अमल दरामद हुआ है। वादी संस्था के दस्तावेजात के अनुसार एवं स्व. जोगसिंह जी के वारिसानों के बयान के अनुसार उपरोक्त भूमि ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर ट्रस्ट बाला व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम के नाम दर्ज है। जिसको दुरूस्त किया जाकर ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला के दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसलिए वादी संस्था का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.3753 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8607 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1192 रकबा 4.4738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211/3 रकबा 9.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574/1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 713/30 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, कुल खसरा 6 कुल रकबा 19.3432 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम के स्थान पर ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
कैम्प कोर्ट बाला
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर ट्रस्ट बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर जरिये वादमित्र ट्रस्टी शक्तिसिंह पुत्र श्री देवीसिंह, जाति राजपूत निवासी सी 11 सवाई जयसिंह राजमार्ग बनीपार्क जयपुर राज.		राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 209 राजस्थान टीनेसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 03/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.3753 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8607 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1192 रकबा 4.4738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211/3 रकबा 9.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574/1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 713/30 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, कुल खसरा 6 कुल रकबा 19.3432 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला व्यवस्थापक जोगसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत कुटीया आश्रम के स्थान पर ब्रह्मलीन बाला मातेश्वरी श्री रूपकंवर संस्थान ट्रस्ट बाला की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् ...हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested